



सत्यमव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० ८बी/यू.पी./०४/१७३/२०१३/एफ.सी. ।५५७

दिनांक: 27.12.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: 765 के०वी० एकल परिपथ बरेली-लखनऊ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद बरेली में 0.4864 हेठल वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 80 वृक्षों के पातन, जनपद शाहौजहाँपुर में 0.5504 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्ष एवं 425 पौधों के पातन, जनपद पीलीभीत में 0.2852 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 121 वृक्षों के पातन एवं दक्षिणी लखीमपुरखीरी में 0.256 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन कुल 1.578 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 257 वृक्षों एवं 425 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 1126 / बरेली-लखनऊ लाईन (1.578 हेठल), दिनांक-04.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1118 / 11C-बरेली-लखनऊ (समेकित)-76 दिनांक-03.12.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंबंधिक पत्र दिनांक-14.03.2014 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के०वी० एकल परिपथ बरेली-लखनऊ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद बरेली में 0.4864 हेठल वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 80 वृक्षों के पातन, जनपद शाहौजहाँपुर में 0.5504 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्ष एवं 425 पौधों के पातन, जनपद पीलीभीत में 0.2852 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 121 वृक्षों के पातन एवं दक्षिणी लखीमपुरखीरी में 0.256 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन कुल 1.578 हेठल संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 257 वृक्षों एवं 425 पौधों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि 3.156 हेठल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.पी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ़ वे (right of way) की चौड़ाई 64 मीटर तक सीमित रहेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायगा।
8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
9. प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
10. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
13. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति० वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्य०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी, प्रभाग, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।
7. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, दक्षिणखीरी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पॉरेशन इण्डिया लिंग, 400/220 केंद्रीय उंपकेन्द्र, कुर्सी रोड, लखनऊ।
9. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
10. आदेश पत्रावली।

27/12/18
(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]